# कयर बोर्ड
# COIR BOARD
## सामान्य भविष्य निधि
## GENERAL PROVIDENT FUND
उप-नियम, 1977
BYE-LAWS, 1977
(31 अक्तूबर 1990 तक यथा संशोधित)
(AS AMENDED UPTO 31 OCTOBER, 1990)


कयर बोर्ड
COIR BOARD
(भारत सरकार)
(GOVERNMENT OF INDIA)
एरणाकुलम, कोच्ची-682 016
ERNAKULAM, KOCHI-682 016

कयर बोर्ड

# सामान्य भविष्य निधि उपनियम, 1977

(31 अक्तूबर, 1990 तक यथा संशोधित)

कयर बोर्ड, एरणाकुलम
कोच्चिन - 682 016

उद्योग मन्त्रालय

## (औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 17 फरवरी 1977

का.आ . 702 - कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45 की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कयर बोर्ड द्वारा बनाए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्ट किए गए निम्नलिखित उपनियम उक्त धारा की उप-धारा (2) यथापेक्षित व्यवस्थानुसार प्रकाशित की जाती है, अर्थात :—

1. लघुशिर्षक और आरंभ :- (I) इन उपनियमों को कयर बोर्ड सामान्य भविष्य निधि उपनियम, 1977 कहा जाएगा ।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हो जाने की तारीख से लागू हो जाएंगे ।

2. परिभाषाएं- (I) यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो इन उपनियमों में ।

   (क) "अधिनियम" से तात्पर्य है कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45)

   (ख) "बोर्ड" से तात्पर्य है अधिनियम के अधीन गठित कयर बोर्ड ।

   (ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य है बोर्ड का अध्यक्ष और "सचिव" से तात्पर्य है बोर्ड का सचिव

   परिलब्धियों से तात्पर्य है मूल नियमावली में परिभाषित वेतन, छुट्टी का वेतन या अनुदान और "परिलब्धियों" में महंगाई भत्ता और विदेश-सेवा के लिए वेतन के रूप में प्राप्त कोई भी पारिश्रमिक समाविष्ट हैं ।

ङ "परिवार" से तात्पर्य है-

(1) एक पुरुष अभिदाता की पत्नी या पत्नियाँ और बच्चे और अभिदाता के दिवंगत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चे

बशर्ते कि यदि एक अभिदाता यह साबित करता है कि उसकी पत्नी ने उससे न्यायालयीय सम्बन्ध- विच्छेद किया है या जिस समुदाय में रहती है उस समुदाय की रुढिबद्ध विधि के अधीन सम्बन्ध समाप्त कर देने से वह अनुरक्षण का हकदार नहीं है तो इन उपनिमों से सम्बन्धित मामलों में अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं मानी जाएगी । बाद में जब तक अभिदाता सचिव को लिखित सूचना नहीं देता है तब तक वह उसी प्रकार मानी जाती रहेगी ।

(II) एक स्त्री अभिदाता के सन्दर्भ में, अभिदाता के पति और बच्चे और अभिदाता के दिवंगत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चे

बशर्ते कि यदि एक अभिदाता लिखित सूचना द्वारा अपने परिवार से पति को हटा देने की इच्छा प्रकट करती है और यदि बाद में अभिदाता उस प्रकार लिखित



सूचना रद्द नहीं करती है तो तबसे इन में उपनियमों से संबन्धित मामलों में वह अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस खंड में "संतान" से तात्पर्य है वैध संतान और दत्तक संतान जहाँ दत्तकग्रहण अभिदाता को नियन्त्रित स्वकीय विधि द्वारा अभिज्ञान किया गया हो ।

च "निधि" से तात्पर्य है बोर्ड इन उप-नियमों के अधीन गठित और स्थापित सामान्य भविष्य निधि ।

छ "छुट्टी" से तात्पर्य है मूलनियमावली या पुनरीक्षित छुट्टी नियम, 1993, द्वारा अभिज्ञात किसी भी प्रकार की छुट्टी ।

ज "बोर्ड का सेवक" से तात्पर्य है केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा करनेवाले किसी व्यक्ति के अतिरिक्त बोर्ड का वैतनिक अधिकारी या सेवक जिसकी सेवाएं बोर्ड के लिए उधार पर ली गई हैं या बोर्ड में स्थानान्तरित की गई हैं ।

झ "वर्ष" से तात्पर्य है वित्तीय वर्ष ।

2. इसमें प्रयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के, सन्दर्भ के अनुसार अधिनियम भविष्य निधि नियम, 1925 (1925 का 19) या मूल नियमावलियों में निर्दिष्ट किए गए अर्थ होंगे ।

3. निधि का गठन :- (I) निधि का रुपयों में रख रखाव किया जाएगा ।

2. निधि में निम्नलिखित होंगे:-

1 इन उपनियमों के अधीन निधि में अदा की गई सभी राशियाँ ।

(II) कयर बोर्ड (व्यापार के लेन-देन, कर्मचारियों की सेवा शर्तें और लेखाओं का रख-रखाव) उपनियम, 1955 के उपनियम (8) (1) के उपबन्धों के अनुसार पेंशन सुविधाएं अपनाए हुए व्यक्तियों के बारे में बोर्ड की अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाता के जमा में रहनेवाली ब्याज सहित अभिदान की राशि ।

(III) समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ निधि में जोडने के लिए बोर्ड द्वारा विनिश्चित उस प्रकार के जोड़ और

(II) ऋण, जमा और निवेशों से मिलनेवाली आय

(2) देय हो जाने के बाद पाँच वर्षों के अन्दर भुगतान नहीं की गई राशियाँ व्यपित में निधि में जमा की जाएँगी । उस प्रकार की राशियों का भुगतान केवल अध्यक्ष के आदेशों के अनुसार ही किया जाएगा ।

(4.) <u>निधि का प्रबंधन:</u> निधि बोर्ड में निहित होगी और कयर बोर्ड (व्यापार लेन- देन, कर्मचारियों की सेवा-शर्तें और लेखाओं का रख-रखाव) उप नियम, 1955 के उपनियम 25 और 26 के अधीन निर्धारित रीति के अनुसार निधि को रखा जाएगा और निवेशित किया जाएगा ।

5. <u>पात्रता की शर्तें</u>:- एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद बोर्ड के सभी अस्थायी कर्मचारी और कयर बोर्ड (व्यापार लेन-देन, कर्मचारियों की सेवा-शर्तें और लेखाओं का रखा-रखाव) उपनियम, 1955 के उपनियम (8) (3) के उपबन्धों के अधीन बोर्ड की अंशदायी भविष्य निधि सुविधाएँ प्रतिधारित करनेवालों के अतिरिक्त बोर्ड के सभी स्थायी कर्मचारी निधि में जमा करेंगे।

अपने विकल्प के अनुसार पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त सामान्य भविष्य निधि में जमा किए जाएँ।

टिप्पण - 1 इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शिशुओं और परिवक्षार्थियों को बोर्ड के अस्थायी कर्मचारी मान लिए जाएँगे।

टिप्पण 2 - एक महीने के मध्य में एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरा करनेवाला बोर्ड का एक अस्थायी कर्मचारी अनुवर्ती महीने से लेकर निधि को अभिदान करेगा।

टिप्पण 3 - सरकार के या उसके द्वारा नियंत्रित निगमित निकाय से बोर्ड के अधीन अस्थायी पदों में स्थानान्तरित व्यक्तियों के सन्दर्भ में इस उपनियम के प्रयोजन के लिए निगमित निकाय के अधीन की सेवा को बोर्ड के अधीन की सेवा मानी जाएगी और यदि उसने पहले ही उस निकाय में एक वर्ष की निरंतर सेवा पुरी की है तो बोर्ड में उसकी ग्रहण करने के तुरन्त ही उसको निधि के लिए अभिदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

6. <u>नामांकन</u> : (1) अभिदाता निधि के ग्राहक बनते समय, रकम के देय हो जाने के पहले या देय हो जाने पर उसकी मृत्यू होने पर निधि में उसके जमा में होनेवाली रकम स्वीकार करने का अधिकार एक या अधिक व्यक्तियों को प्रदान करते हुए सचिव के नाम पर एक नामांकन देगा।

बशर्ते कि एक अभिदाता जिसका नामांकन देते समय अपना एक परिवार था, वह मात्र अपने परिवार के एक सदस्य या सदस्यों के नाम में नामांकन देगा।

बशर्ते कि अभिदाता द्वारा दिया गया नामांकन जो उस भविष्य निधि के सन्दर्भ में था जिसके लिए निधि के ग्राहक बनने के पहले वह अभिदान करता था, यदि उस प्रकार की अन्य निधी की उसकी जमा राश को निधि में उसके जमा में स्थानांतरित किया गया है, तो इस उपनियम के अनुसार नामांकन देने तक, इस उपनियम के अधीन विधिवत बनाया गया नामांकन समझा जाएगा।

(2) यदि एक अभिदाता ने धारा (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित किया तो, उस नामांकन में किसी भी समय निधि में अपने जमा में होनेवाली राशि को पूर्ण रूप से कवर करने के रूप में नामित हरेक व्यक्ति को देने के लिए शेयर की रकम का अलग-अलग उल्लेख करेगा।



(3) हरेक नामांकन परिस्थितियों में उपयुक्त पहली अनुसूची में बताए गए उस प्रकार के किसी प्रारूप में होगा।

(4) एक अभिदाता सचिव को एक लिखित सूचना देकर किसी भी समय नामांकन रद्द करे। अभिदाता इस उप-नियम के प्रावधानों के अनुसार एक नया नामांकन उस प्रकार की सूचना के साथ या अलग रूप से भेजेगा।

(5) एक अभिदाता नामांकन में निम्न लिखित विवरण दें।

(क) अभिदाता के पहले किसी नामित व्यक्ति के मर जाने पर उस नामित व्यक्ति पर सौंप दिए अधिकार नामांकन में विशेष रूप से उल्लिखित उस प्रकार के अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को दिये जाएँगे बशर्ते कि, यदि अभिदाता के परिवार के अन्य सदस्य हैं तो उस प्रकार का अन्य व्यक्ति या उस प्रकार के अन्य व्यक्ति उस प्रकार का अन्य सदस्य या उस प्रकार के अन्य सदस्य होंगे। जहाँ अभिदाता उस धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को उस प्रकार का अधिकार प्रदान करता है वहाँ अभिदाता नामित व्यक्ति को देय संपूर्ण राशि को कवर करने के रूप में उस प्रकार के हरेक व्यक्ति को देय शेयर की राशि का उल्लेख करेगा।

(ख) उसमें उल्लिखित एक आपात के होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा

बशर्तें कि नामांकन देते समय यदि अभिदाता का कोई परिवार नहीं था, तो वह नामांकन में यह शर्त रखेगा कि बाद में उसका अपना एक परिवार होने पर यह अमान्य हो जाएगा। बशर्तें कि यदि नामांकन देते समय अभिदाता के परिवार में केवल एक ही सदस्य था तो वह नामांकन में यह शर्त रखेगा कि उपधारा (क) के अधीन एकजी नामिती को प्रदत्त अधिकार बाद में उसके परिवार में अन्य सदस्य या सदस्यों के होने पर अमान्य हो जाएगा।

(6) धारा (5) की उप-धारा (क) के अधीन नामांकन में जिसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा गया है उस नामिती की मृत्यु के तुरन्त बाद या किसी घटना के होने पर जिसे फलस्वरूप धारा (5) की उप-धारा (ख) के अनुसरण में नामांकन अमान्य हो जाता है या परन्तुक के पूर्व, अभिदाता सचिव के नाम नामांकन रद्द करते हुए और इस उपनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए एक नए नामांकन के साथ एक लिखित सूचना भेज देगा।

(7) अभिदाता द्वारा दिया गया हरेक नामांकन और रद्द करने की हरेक सूचना, उसके मान्य होने तक सचीव द्वारा उसके स्वीकार किए जाने की तारिख को लागू होगा।

स्पष्टीकरण:- इस उप-नियम में यदि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो, "व्यक्तियो" में कम्पनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय समाविष्ट होगा, चाहे निगमित हो या न हो।

7. अभिदाताओं के खाते:-

हरेक अभिदाता के नाम पर एक खाता खोला जाएगा जिसमें उपनियम 12 की धारा (2) में निर्धारित किए अनुसार ब्याज सहित उसके अभिदानें की राशी तथा निधि से अग्रिम और निकासियों की राशि का विवरण होगा

(8) अभिदान की शर्तें :- (1) एक अभिदाता अपने निलंबन काल को छोड़कर हरेक महीने में निधि में अभिदान करेगा। बशर्ते कि एक अभिदाता अपनी इच्छा के अनुसार यथास्थिति औसत न वेतन छुट्टी या एक महीने या 30 दिनों से कम की अर्जित छुट्टी के अतिरिक्त किसी भी छुट्टी के समय अभिदान करेगा।

बशर्ते कि एक अभिदाता को निलंबन काल के बाद अपना पुनःस्थापन होने पर उपयुक्त काल के लिए देय अधिकतम बकाया राशि से अधिक न होने के रूप में एक या अधिक किस्तों में जो भी राशि अदा करना चाहता है उसे वह राशि अदा करने का अनुमति दी जाएगी।

(2) अभिदाता निम्नलिखित तरीके से छुट्टी के दौरान अभिदान न देने के अपने निर्णय की सूचना देगा। अर्थात:-

(क) यदि वह एक अधिकारी है जो अपने ही वेतन बिलों को स्वयं आहरित करता है, तो छुट्टी पर जाने के बाद अपने पहले वेतन बिल में अभिदान के लिए कोई कटौति नहीं करगा तो,

(ख) यदि वह अपने वेतन बिलों का स्वयं आहरण करनेवाला अधिकारी नहीं है तो छुट्टी पर जाने के पहले सचिव को लिखित सूचना देगा। उचित और सामयिक सूचना न देने पर ऐसा समझा जाएगा कि वह अभिदान करना चाहता है।

टिप्पण:- एक अभिदाता के लिए एक बार इस उप-धारा के अधीन सचिव किया गया विकल्प अन्तिम होगा।

(3) एक अभिदाता जिसने उपनियम 20 के अधीन निधि में अपने जमा में रही राशि को निकाल दिया है, वह उस प्रकार की निकासियों के बाद जब तक ड्यूटी पर वापस नहीं आता तब तक निधि के लिए अभीदान नहीं करेगा।

9. अभीदान की दर:- (1) अभिदाता द्वारा स्वयं निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अभिदान की राशी तय की जाएगी, अर्थात:-

(क) यह पूर्ण रूपयों में अभिव्यक्त किया जाएगा।

(ख) यह उस प्रकार अभिव्यक्त की गई जो भी राशि हो जो उसकी परिलब्धियों के 6 प्रतिशत से कम और उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक न हो।

(2) धारा (1) के प्रयोजन के लिए परिलब्धियाँ निम्नलिखित प्रकार से होंगी।



(क) एक अभिदाता के संबंध में जो गत वर्ष के 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में था - उस तारिख को वह जिन परिलब्धियों के लिए हकदार था वे सारे परिलब्धियाँ,

बशर्ते कि-

(I) यदि अभिदाता उस तारिख को छुट्टी पर था और उस छुट्टी के दौरान अभिदान नहीं करना चाहता था या उपयुक्त तारिख को निलंबन पर था, तो उसकी परिलब्धियाँ वे परिलब्धियाँ होंगी जो ड्यूटी पर उसके वापस आने के बाद प्रथम दिन को जिन परिलब्धियों के लिए वह हकदार है।

(II) यदि अभिदाता उपयुक्त तारिख को भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या छुट्टी जारी कर रहा था और उस प्रकार की छुट्टी के दौरान अभिदान करना चाहता था तो उसकी परिलब्धियाँ वे परिलब्धियाँ होंगी भारत में ड्यूटी करते समय जिनके लिए वह हकदार था।

(ख) एक अभिदाता, जो गत वर्ष के 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में नहीं था उसे - उसके निधि के ग्राहक होने की तारिख को जिन परिलब्धियों के लिए वह हकदार था।

(3) अभिदाता हरेक वर्ष लिखित सूचना द्वारा या निम्नलिखित प्रकार यथास्थिति सचिव को अपनी मासिक अभिदान राशि के निर्धारण की सूचना देगा

(क) यदि वह गतवर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था तो, उस महीने के वेतन बिल से इसके निमित्त कटौति करके,

(ख) यदि वह गत वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था और उस छुट्टी को दौरान अभिजान नहीं करना चाहता था पर इस तारिख को निलंबन के अधीन था तो, उसके ड्यूटी पर वापस आने के बाद के अपने पहले वेतन बिल से इसके निमित कटौती करके,

(ग) यदि वह वर्ष के दौरान पहली बार बोर्ड की सेवा में आया है तो, निधि के ग्राहक बनते के महीने के वेतन बिल से इसके निमित कटौती करके

(घ) यदि वह गत वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था और छुट्टी जारी कर रहा था और उस छुट्टी के दौरान अभिदान करना चाहता था तो उस महीने के अपने वेतन बिल से इसके निमित जो कुछ कटौती करके,

(ङ) यदि वह गत वर्ष के 31 मार्च को विदेश सेवा में था तो, चालू वर्ष के अप्रैल महीने के अभिदान के रूप में उसके द्वारा बोर्ड में जमा की गई राशि द्वारा

(4) किसी वर्ष के बीच किसी भी समय उस प्रकार निर्धारित अभिदान की राशि बढ़ा या घटा दी जाएगी।

बशर्ते कि अभिदान की राशि घटा दी जाती है तो वह धारा (1) में निर्धारित न्यूनतम से कम न होगी।

बशर्ते कि यदि एक अभिदाता एक कैलेन्डर मास के एक खंड के लिए वेतनरहित छुट्टी या अर्धवेतन छुट्टी या अर्ध औसतन वेतन छुट्टी पर है और उस प्रकार की छुट्टी के दौरान अभिदान नहीं देना चाहता है तो देय अभिदान राशि ऊपर बताए छुट्टियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की छुट्टी है तो उसको भी सम्मिलित करके ड्यूटी पर लगे दिनों के आनुपातिक होगी।

10. <u>विदेश सेवा में स्थानान्तरण और भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति</u>

जब एक अभिदाता विदेश सेवा में स्थानान्तरित किया जाता है या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा है तब वह निधि के प्रावधानों के अधीन उसी प्रकार रहेगा जैसे उसे स्थानान्तरित नहीं किया गया हो या प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया हो।

11. <u>अभिदानों की वसूली</u> :- (1) बोर्ड या किसी भी अभिदाता की परिलब्धियों से उससे प्राप्य अभिदान और निधि से उसको कोई अग्रिम दी गई है तो वह अग्रिम और उसका ब्याज काटने का अधिकार होगा।

(2) किसी अन्य स्रोत से परिलब्धियाँ आहरित की जाती हैं तो अभिदाता सचिव को अपने मासिक देय अग्रेषित करेगा बशर्ते कि सरकार के या उसके नियंत्रण के एक निगमित निकाय में प्रतिनियुक्त एक अभिदाता के मामले में उस निकाय द्वारा सचिव को अभिदान वसूल करके अग्रेषित किया जाएगा।

12. <u>ब्याज</u> :- (1) बोर्ड समय-समय पर निरधारित गणना की रीति के अनुसार हरेक वर्ष सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएँ) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित दरों में अभिदाता के जमा खाता में ब्याज अदा करेगा

बशर्ते कि यदि एक वर्ष में निर्णीत ब्याज की दर 4 प्रतिशत से कम हो तो, गत वर्ष में जब पहली बार 4 प्रतिशत से कम दर निर्धारित की गई थी, निधि के सभी अभिदाताओं को 4 प्रतिशत की दर में ब्याज दिया जाएगा।

बशर्ते कि एक अभिदाता जो उपनियम-23 में सूचित भविष्य निधियों में किसी के लिए अभिदान कर रहा था और जिसके अभिदान ब्याज के साथ इस निधि जमा में स्थानान्तरित किये गये थे उसे यदि वह उसी दर पर इस उप-नियम के प्रथम उपबंध के समान किसी एक प्रावधान के अधीन ब्याज प्राप्त कर रहा था तो 4 प्रतिशत दर पर ब्याज दिया जाएगा।



(2) हरेक वर्ष 31 मार्च से लेकर निम्नलिखित प्रकार से ब्याज जमा किया जाऐगा -

(I) गत वर्ष के अन्तिम दिन को अभिदाता के जमा की राशि, घटा चालू वर्ष के दौरान वापस ली गई कोई राशि बारह महीने का ब्याज।

(II) चालू वर्ष के दौरान निकली राशियों पर - चालू वर्ष के आरंभ से लेकर निकासी के मास के गत मास के अन्तिम दिन तक का ब्याज,

(III) गत वर्ष के अन्तिम दिन के बाद अभिदाता के खाते में जमा कर दी गई सभी राशियों पर - जमा की तारिख से लेकर चालू वर्ष के अन्त तक का ब्याज

(IV) ब्याज की कुल राशि आगे के पूर्ण रूपए में पूर्णांकित की जाएगी (पचास पैसे को आगे के उच्चतर रुपे के रूप में माना जाएगा)

बशर्ते कि जब अभिदाता के जमा की राशि देय हो जाती है। तब इस उपनियम के अधीन चालू वर्ष के आरंभ से या जमा की तारिख से, लेकर यथास्थिति अभिदाता के जमा की राशि देय बन जाने की तारिख तक का ब्याजै जमा किया जाएगा।

(3) इस उप-नियम में जमा की तारिख को परिलब्धियों से वसूली करने के मामले में वसूली हो जानेवाले महीने की पहली तारिख मानी जाएगी, और अभिदाता द्वारा अग्रेषित राशि के मामले में, यदि वह सचिव द्वारा उस महीने के पांचवें दिन के पहले स्वीकार की जाती है, तो उस प्राप्ति के महीने का पहला दिन माना जाएगा। लेकिन यदि वह उस महीने के पाँचवें दिन को या उसके बाद स्वीकार की जाती है तो अनुवर्ती महीने का पहला दिन जमा की तारिख माना जाएगा।

बशर्ते जहाँ अभिदाता के वेतन या छुट्टी वेतन और भत्ते के आहरण में देरी होती है और परिणाम - स्वरूप निधि के लिए अभिदान की वसूली में भी देरी होती है, वास्तव में जिस महीने में आहरण किया गया था उसका विचार किए बिना अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन जिस महीने में देय था उस महीने से उस प्रकार के अभिदानें पर ब्याज देय हो जाएगा।

बशर्ते कि उपनियम की धारा (2) के परन्तुक के अनुसार अग्रेषित रकम के मामले में, यदि वह रकम सचिव द्वारा महीने के पन्द्रहवीं दिन के पहले स्वीकार की जाती है, तो जमा की तारिख को उस महीने का पहला दिन समझा जाएगा।

(4) उप नियम 19, 20 या 21 के अधीन अदा करने की राशि के अतिरिक्त उस राशि पर भुगतान के महीने के गत महीने के अन्त तक या उस राशि के देय बन जाने के महीने के बाद के छठे महीने के अन्त तक, इनमें जो भी अवधि छोटी हो, तब

तक का ब्याज उस व्यक्ति को अदा किया जाएगा जिसको उस प्रकार की राशि देनी है

बशर्ते कि जहाँ सचिव ने उस व्यक्ति (या उसके एजेंट) को नकद के भुगतान की जाने की तारिख की सूचना दी है, या उस व्यक्ति को भुगतान के रूप में एक चेक भेजा है, वहाँ केवल सूचना देने की तारिख के गत महीने के अन्त तक या चेक की प्रविष्टि की तारिख तक यथास्थिति हो, ब्याज देय होगा ।

(5) उपनियम की धारा (2), उपनियम 14 की धारा (5) उपनियम 19 या 30 के अधीन की निधि में अभिदाता की जमा राशि पर ब्याज की गणना धारा (1) में व्यक्त रूप से निर्धारित की गई दरों में और उसमें निर्धारित तरीके से की जाएगी।

13. निधी से अग्रिम :- (1) सचिव एक अभिदाता को निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए पूर्ण रुपयों की राशि में अग्रिम के भूगतान की मंजूरी देगा । यह अभिदाता के तीन महीने के वेतन या निधि में उसकी जमा-राशि के आधे के बराबर की राशि इनमें से जो भी कम हो, उससे अधिक न हो ।

(क) एक अभिदाता या उस पर यथार्थतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी या विकलांगता से संबंधित खर्च के लिए, आवश्यक है तो, अभिदाता उसके यथार्थ आश्रित के यात्रा के खर्च को सम्मिलित किया जा सकता है ।

(ख) निम्नलिखित मामलों में अभिदाता या उस पर यथार्थतः आश्रित किसी व्यक्ति की उच्चतर शाशी का खर्च और आवश्यक है यात्रा के खर्च उठाना अर्थात

(I) भारत के बाहर उच्चविद्यालय शिक्षा के बाद शैक्षिक, तकनीकी वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए, और

(II) उच्च विद्यालय शिक्षा के बाद भारत में किसी चिकित्सा इँजिनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेषिकृत पाठ्यक्रम केलिए, बशर्ते कि शिक्षा की अवधि तीन महीने से कम न हो,

(ग) स्थिति के उपयुक्त पैमाने पर अभिदाता को प्रथागत उपयोग द्वारा अपनी या अपने बच्चों की या उस पर आश्रित किसी अन्य व्यक्ति की शादी या अन्य समारोह से संबंधित अनिवार्य खर्च करने के लिए

बशर्ते कि अभिदाता के पुत्र या पुत्री के सन्दर्भ में वास्तविक निर्भरता की शर्त का उपयोग नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि अभिदाता के माँ बाप के अन्त्येष्टि-खर्च उठाने के लिए आवश्य अग्रिम के संदर्भ में वास्तविक निर्भरता की शर्त का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(घ) सरकारी ड्यूटी निभाते समय अभिदाता द्वारा किए गए या करने का आभास दिलाये हुए किसी कार्य के सन्दर्भ में उसके विरुद्ध लगाए गए किसी आरोप के



सन्दर्भ में अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए अभिदाता द्वारा प्रारंभ की गई कानूनी कार्यवाहियों के खर्च उठाने के लिए, उस उद्देश्य के लिए किसी दूसरे स्रोत से ग्राहय किसी अग्रिम के अतिरिक्त इस मामले में प्राप्त अग्रिम

बशर्ते कि इस धारा के अधीन, जो अभिदाता अपनी सरकारी ड्यूटी से असंबन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में या बोर्ड के विरुद्ध सेवा की किसी शर्त या उसपर लगाए दण्ड के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही संस्थापित करता है, उसके लिए अग्रिम स्वीकार्य नहीं होगी ।

(ङ) अभिदाता की सुरक्षा कते खर्च उठाने के लिए जहाँ बोर्ड द्वारा किसी न्यायालय में उसपर मुकदमा-चलाया जाता है या जहाँ अभिदाता उसपर आरोपित किसी सरकारी अवचार से सम्बन्धित जाँच में अपने आपको बचाने के लिए एक कानूनी कर्ता को नियुक्त करता है ।

(2) लिखकर अंकित किए गए विशेष कारणों के अलावा किसी भी अभिदाता को धारा (1) में निर्धारित सीमा से अधिक या पहले के किसी अग्रिम की अन्तिम किस्त और उसके ब्याज के पूर्णभूगतान तक अग्रिम प्रदान नहीं की जाएगी, बशर्ते कि यदि कारण गोपनीय स्वरूप का हो, तो सचिव को व्यक्तिगत रूप से और/या गोपनीय रूप से उसकी सूचना दी जाए ।

टिप्पण- इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, जहाँ स्वीकार्य है वहाँ वेतन में महंगाई भत्ता समाविष्ट है ।

14. अग्रिमों की वसूली :- (I) मंजूर करनेवाले प्राधिकारी के निर्देश के अनुसार अभिदाता से तुल्य मासिक किस्तों में अग्रिम वसूल किया जाएगा, पर यदि अभिदाता चाहता नहीं है तो किस्तों की संख्या 12 से कम और 24 से ज्यादा न हो । उपनियम 13 के खण्ड (2) के अधीन अग्रिम राशि अभिदाता के तीन महीने के वेतन से अधिक होने के विशेष सन्दर्भों में मंजूर करने वाला प्राधिकारी किस्तों की संख्या 24 से अधिक निर्धारित करेगा, लेकिन डरगिज़ 36 से ज्यादा नहीं हो । एक अभिदाता अपने विकल्प के अनुसार महीने में एक से अधिक किस्त चुका सकता है, यदि उस प्रकार की किस्तों के निर्धारण के लिए आवश्यक है तो अग्रिम राशि को बढ़ा या घटा करके हरेक किस्त पूर्ण रूपयों की राशि होगी ।

(2) (क) अभिदानों की वापसी के लिए उप-नियम में बताए अनुसार वसूली की जाएगी और अग्रिम के भूगतान किए गए महीने के अनुवर्ती महीने के वेतन से वसूली शुरू होगी ।

(ख) अभिदाता निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा है या औसत वेतन छुट्टी या 30 दिनों की अवधि के एक महीने से कम की अर्जित छुट्टी पर है, जैसी स्थिति हो,

वैसी स्थिति में अभिदाता की अनुमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी। अभिदाता को प्रदत्त अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान अभिदाता के लिखित अनुरोध पर मंजूर करनेवाले प्राधिकारी द्वारा वसूली स्थगित की जाए।

(3) यदि अभिदाता को एक से अधिक अग्रिम दिया गया है तो वसूली के लिए हरेक अग्रिम अलग अलग माना जाएगा।

(4) (क) अग्रिम के मूल के पूर्ण से चुकाने के बाद मूल की निकासी और पूर्ण वापसी की अवधि के दौरान हरेक महीने या महीने की टूटी अवधि के लिए मूल के ½ प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा किया जाएगा;

(ख) साधारणतया मूल पूरे चुकाने के बाद महीने में एक किस्त में ब्याज वसूल किया जाएगा, लेकिन यदि उप-खंड (क) में बताई अवधि 20 महीने से अधिक होती है, और यदि अभिदाता चाहता है तो, ब्याज दो तुल्य मासिक किस्तों में वसूल किया जाए। वसूली की रीति खंड (2) में निर्धारित प्रकार की होगी। उप नियम 12 के खंड (2) के उपखंड में निर्धारित तरीके से भुगतानों को पूर्णांकित करेगा।

(5) यदि एक अभिदाता को अग्रिम का अनुदान किया गया है और उसके द्वारा वह निकाला गया है और बाद में वापसी पूरा होने के पहले अग्रिम अस्वीकृत किया जाता है, तो निकाली गई पूर्ण या शेष राशि उप-नियम - 12 में बताई गयी दर के ब्याज सहित तत्क्षण ही अभिदाता द्वारा निधि में वापस की जाएगी या चूक होने पर सचीव द्वारा अभिदाता की परिलब्धियों से उपनियम 13 के खंड (2) के अधीन जिस अग्रिम के अनुदान के लिए विशेष कारण आवश्यक है, उस अग्रिम को मंजूर करनेवाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा, एकमुश्त या 12 महीने से अधिक न होने के रूप में मासिक किस्तों में घटा करके वसूली की जाने का आदेश दिया जाएगा।

(6) इस उपनियम के अधीन की गई वसूलियाँ निधि में अभिदाता के खाते में किए जाने से उसी में जमा की जाएँगी।

15. <u>अग्रिम का गलत उपयोग</u>- उस इप-नियमों में विहित किसी बात के होते हुए भी, यदि मंजूर करनेवाला प्राधिकारी संतुष्ट है कि उपनियम - 13 के अधीन निधि से अग्रिम के रूप में निकाली राशी का उपयोग, अग्रिम की, जिस प्रयोजन के लिए मंजूरी दी गई थी, उस प्रयोजन के अतिरिक्त किसी प्रयोजन के लिए किया गया था, तो उप-नियम 12 में निर्दिष्ट दर के अनुसार ब्याज सहित सम्बन्धित रकम अभिदाता द्वारा निधि में वापस की जाएगी या चूक होने पर सचिव या अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए अनुसार एकमुश्त या उस प्रकार की मासिक किस्तों में, उसके छुट्टी पर होने पर भी, अभिदाता की परिलब्धियों से घटा करके वसूल करने के लिए आदेश दिया जाएगा। यदि वापस करने की कुल राशी अभिदाता



की परिलब्धियों के आधे से अधिक हो, तो उसके द्वारा संपूर्ण राशि वापस करने एक मासिक किस्तों में उसकी परिलब्धियों से वसूली की जाएगी।

टिप्पण- इस उपनियम में प्रयुक्त परिलब्धियाँ शब्द में निर्वाह अनुदान शामिल नहीं है।

16. निधि से निकासियाँ इसमें उल्लिखित शर्तों के अनुसार सचिव द्वारा अभिदाता के 20 वर्षों की सेवा पूरा करने के बाद यदि सेवा टूटी अवधि हो, तो, उसे भी सम्मिलित करके, या सेवानिवृत्त होने के पहले 10 वर्ष के अन्तर्गत, जो भी पहले हो, किसी भी समय उसकी विधि की जमा राशि से निम्नलिखित से एक या अधिक प्रयोजन के लिए निकासियों की मंजूरी की जाएगी।

(क) निम्नलिखित संदर्भों में आवश्यक है तो अभिदाता की किसी संतान के यात्रा खर्च को समाविश्ट करते हुए - उच्चशिक्षा का खर्च उठाना

(I) उच्च स्कूल स्तर के बाद भारत के बाहर शैक्षिक, तकनीकी, वृत्तिक या व्यापसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए

(II) उच्च स्कूल स्तर के बाद भारत में किसी मेडिकल, इंजी निर्यारिंग या अन्य तकनीकी या विशेषीकृत पाठ्यक्रम के लिए बशर्ते कि अध्ययन की अवधि 3 वर्षों से कम की न हो

(ख) अभिदाता के पुत्रों या पुत्रियों और उस पर आश्रित किसी अन्य स्त्री सम्बन्धी की शादि से सम्बन्धित खर्च उठाने के लिए।

(घ) अभिदाता के निवास के लिए स्थल मूल्य समाविष्ट करके, एक उचित घर का निर्माण या खरीद या इसी उद्देश्य के लिए या पहले ही अभिदाता द्वारा स्वायत्त या उपार्जित घर के पुनर्निर्माण या उसमें कुछ जोडने या परिवर्तन करने के लिए प्रत्यक्ष लिए गए उधार का कोई अदत्त रकम चुकाने के लिए

(ङ) घर-स्थल की खरीद या इस उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष लिए गए ऋण की कोई अदत्त राशि चुकाने के लिए।

(च) खंड (ङ) के अधीन खरीदे स्थान पर एक घर निर्मित कराने के लिए।

टिप्पण - एक अभिदाता जिसने घर के निर्माण और आवास मकालय की योजना के अनुसार अग्रिम लिया है, या जिसे उसके लिए अन्य किसी सरकारी स्रोत या बोर्ड से कोई सहायता प्राप्त हुई है, खंड (घ), (ङ) और (च) में बताए उद्देशयों के लिए और उपनियम के खंड परन्तुक में निर्धारित सीमा के अधीन उपयुक्त योजना के अधीन लिए गए किसी ऋण के भुगतान के उद्देश्य के लिए अंतिम निकासी के लिए योग्य होना।

17. निकासी की शर्तें:- (1) उप नियम - 16 में निर्धारित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए निधि में जमा राशि से अभिदाता द्वारा किसी भी समय निकासी की गयी राशि, उस प्रकार की राशि का आधा या 6 महीने का वेतन, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी। तो भी मंजूर करनेवाला प्राधिकारी (1) निकासी करने के उद्देश्य (II) अभिदाता की पदवी और (III) निधि में उसके जमा में राशि का उचित ध्यान देते हुए उस सीमा से अधिक निधि उसके जमा में बाकी के $\frac{3}{4}$ तक की राशि की निकासी का अनुमोदन करे।

बशर्ते कि एक अभिदाता जिसने निर्माण व आवास मंत्रालय की योजना के अधीन घर के निर्माण के लिए अग्रिम प्राप्त किया, या इस सम्बन्ध में अन्य किसी सरकारी स्रोत या बोर्ड से कोई सहायता प्राप्त की है, के सन्दर्भ में उपयुक्त योजना के अन्तर्गत ली गई अग्रिम राशी सहित उस खंड के अधीन निकाली राशी या अन्य किसी सरकारी स्रोत या बोर्ड से ली गई अग्रिम राशि 75, 000- रु। या पाँच वर्ष का वेतन, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी।

(2) एक अभिदाता जिसे उप-नियम 16 के अधीन निधि से रुपए निकालने की अनुमति दी गई है, मंजूर करनेवाले प्राधिकारी को उसके द्वारा निर्धारित उचित समय के अन्दर सन्तुष्ट करा देगा कि उसने रकम की निकासी जिस उद्देश्य से की थी, उस के लिए उस रकम का उपयोग किया है। यदि, वह इस प्रकार करने में सफल होता है, तो निकाली गई संपूर्ण राशि या वह राशि जिसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं अभिदाता द्वारा तत्काल ही एकमुश्त, उपनियम 12 के अधीन निश्चित दर के ब्याज सहित निधि में वापस अदा की जाएँगी, इस प्रकार के भुगतान में चूक होने पर वह राशि, सचीव अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए अनुसार मंजूर करनेवाले प्राधिकारी द्वारा अभिदाता की परिलब्धियों से एक मुश्त या मासिक किस्तों में वसूल की जाने का आदेश किया जाएगा।

18 अग्रिम का अंतिमम निकासी के रूप में परिवर्तन: - एक अभिदाता जिसने उपनियम 13 के अन्तर्त उपनियम 16 के खंड(क) (ख) या (ग) में निर्धारित किसी उद्देश्य के लिए पहले ही अग्रिम लिया है या जो भविष्य में अग्रिम लेगा, अपनी मर्जी से सचिव के नाम पर लिखित अनुरोध द्वारा उसमें शेष रकम को (ब्याज सहित) उसके द्वारा उपनियम 16 और 17 में बताई गई शर्तें की पूर्ती की जाने पर अन्तिम निकासी के रूप में परिवर्तन करे।



19 निधि के संचयन की अन्तिम निकासी: - जब एक अभिदाता सेवा छोड़ता है जब निधि में उसकी जमा राशी उसके लिए देय होगी।

बशर्ते कि एक अभिदाता, जिसे सेवा से पदच्युत किया गया और बाद में सेवा में बहाल किया गया, बोर्ड द्वारा उस प्रकार करने की मांग करने पर उस उपनियम के अनुसार निधि से ली गई राशि, उपनियम - 20 के परन्तुक में बताए अनुसार उपनियम 12 में निर्दिष्ट दर के ब्याज सहित वापस अदा करेगा। इस प्रकार वापस की गई राशि निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी।

स्पष्टीकरण - I एक अभिदाता जिसे तिरस्कृत छुट्टी अनुमत की जाती है, अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारिख से या सेवा विस्तारण के समाप्त होने पर सेवा छोड़ी-सा समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण - II करार पर नियुक्त या सेवा निवृत्त तथा बाद में सेवा-भंग सहित या रहित पुनर्नियुक्त किसी व्यक्ति के अतिरिक्त, एक अभिदाता, जब वह किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्र सरकार के अन्य विभाग में (जहाँ वह भविष्य निधि नियमों के अन्य सेट द्वारा नियन्त्रित है) एक ने पद में सेवा भंग रहित और उसके पुराने पद से कोई सम्बन्ध न रखते हुए स्थानान्तरित हो जाता है, उस सन्दर्भ में ब्याज सहित उसके अभिदान निम्नलिखित खातों में अंतरित किए जाएँगे।

(क) यदि नया पद बोर्ड के अन्य विभाग में है, तो अन्य निधि के उप-नियम के अनुसार उस निधि में उसके खाते को, या

(ख) यदि नया पद राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन है और उस सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस प्रकार के अभिदानों और ब्याज के अन्तरण से सहमत होती है, उस राज्य/ केन्द्र सरकार के अधीन एक नये खाते को

टिप्पण:- स्थानान्तरणों में सेवा से इस्तीफा के मामले होंगे जो किसी भंग के बिना और बोर्ड की उचित अनुमति के साथ केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन नियुक्तियाँ लेने के लिए हो, सेवा भंग के मामलों में यह अलग स्टेशन में स्थानान्तरण के लिए देय कार्य काल में सीमित किया जाएगा। तत्काल नियुक्ति की अनुवर्ती छाँटनियों के सन्दर्भ में भी यही लागू होगा।

स्पष्टीकरण - III किसी भंग के बिना सरकारी या उसके नियन्त्रण के एक नियमित निकाय में एक अभिदाता को स्थानान्तरित किया जाता है, तो ब्याज सहित अभिदान की राशि उसको अदा नहीं की जाएगी, लेकिन उस निकाय की अनुमति के साथ उस निकाय के अधीन के उसके नए भविष्य निधि खाते में अन्तरित की जाएगी। स्थानान्तरण में पद-त्याग भी होगा जो किसी भंग के बिना और बोर्ड की उचित अनुमति के साथ सरकारी या सरकार से नियंत्रित एक नियमित निकाय के अधीन नियुक्ति लेने के लिए हो। यदि नए पद के ग्रहण करने के लिए लिया गया समय एक पद से दूसरे पद में स्थानान्तरण होने पर सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य कार्यारम्भकाल से अधिक न हो, तो, यह अवधि सेवा-भंग के रूप में नहीं मानी जाएगी

टिप्पण:- स्पस्टीकरण III के अनुसार एक अभिदाता के किसी भंग के बिना, सरकारी या सरकारी नियन्त्रण के एक निगमित निकाय के अधीन सेवा में स्थानान्तरित हो जाने पर, ब्याज सहित अभिदान उसको अदा नहीं किया जाता, लेकिन उस निकाय की अनुमति के साथ उस निकाय के अधीन उसके नए भविष्य निधि खाते में अन्तरित किया जाता है।

उपयुक्त प्रकार के मामलों में उपनियम - 12 के खंड (4) के उपबन्धों के अनुसार वैसे ब्याज की अनुमति दी जाएगी जैसे कि बोर्ड के कर्मचारी ने पदत्याग किये हो। इन उप-नियमों के अनुसार भुगतान के गत महीने के अन्त तक या संचित राशि जिस महीने से देय होती है उस महीने से लेकर छठीं महीने के अन्त तक, इन में जो भी हो, उस अवधि के लिए शेष भविष्य निधि राशि पर ब्याज मंजूर किया जाएगा। इसलिए प्राशासनिकप्राधिकारी पर ज़ोर दिया जाता है कि इस प्रकार के मामलों में सम्बन्धित व्यक्ति के स्थानान्तरण के 6 महीने के अंतर्गत यथाशीध्र शेष भविष्य निधि राशी को अन्तरित किया जाना है।

20. अभिदाता की सेवानिवृत्ति:- जब एक अभिदाता-

(क) सेवानिवृत्ति उर्व छुट्टी पर गया है, या

(ख) जब छुट्टी पर हो, उसका सेवानिवृत होने की अनुमति दी गई है या किसी सक्षम चिकित्सक ने उसे आगामी सेवाओं के लिए अयोग्य घोषित किया है, निधि में उसके खाते में जमा राशि सचिव के नाम पर उसके द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर अभिदाता को देय हो जाएगी।

बशर्ते कि यदि अभिदाता ड्यूटी में वापस आता है और यदि बोर्ड द्वारा ऐसे करने को कहा गया है तो, वह, इस उप-नियम के अनुसार निधि से ली गई संपूर्ण राशि या खंड राशि उपनियम 12 में बताए दर के ब्याज सहित नकद या प्रतिभूति या अंशत: नकद और अंशत: प्रतिभुति के रूप में किस्तों में या उसकी परिलब्धियों से वसूली करके या जिस अग्रिम की मंजूरी के लिए उप-नियम 13 के खण्ड (2) के अधीन विशेष कारणं आवश्यक थे उस अग्रिम की मंजूरी करनेवाले सक्षम प्राधिकारी के निर्देश के अनुसार वापस अदा करेगा।

21. अभिदाता की मृत्यु होने पर कार्यविधि

एक अभिदाता के खाते में जमा राशि के देय बनने के पहले, या देय बन जाने पर, भुगतान करने के पहले अभिदाता की मृत्यु होने पर

(1) जब अभिदाता अपने परिवार को छोड देता है-

(क) यदि उपनियम - 6 या सम्बन्धित नियम उपनियम के उपन्धों के अनुसार अपने परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में अभिदाता द्वारा बनाया गया नामांकन बना रहता है, तो निधि में उसके खाते में जमा राशि या उसकी खंड राशी जिससे नामांकन सम्बन्धित है, नामांकन में निर्धारित अनुपात में उसकी नामिति या नामितियों को देय होगी।



(ख) यदि अभिदाता के परिवार के सदस्य या सदस्यों समे के पक्ष में उस प्रकार का नामांकन बना रहता है या यदि उस प्रकार का नामांकन बना रहता है या यदि उस प्रकार का नामांकन निधि में उसके जमा में होनेवाले राशि के एक खंड मात्र से सम्बन्धित है, तो सम्पूर्ण राशि या उसकी खंड राशी जिससे नामांकन संबन्धित नहीं है, जो भी स्थिति हो, उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन के होते हुए भी उसके परिवार के सदस्यों को तुल्य शेयर में देय होगी।

बशर्ते कि कोई भी राशी निम्नलिखियों को देय होगी।

(I) वयस्कता प्राप्त पुत्र

(II) दिवंगत पुत्र के वयस्कता प्राप्त पुत्र

(III) विवाहित पुत्रियाँ जिनके पति जीवित हैं।

(IV) उप-खंड (I), (II), (III), और (IV) में निर्धारित सदस्यों के अतिरिक्त परिवार का कोई अन्य सदस्य है तो दिवंगत पुत्र की विवाहित स्त्रियाँ जिनके पति जीवित हैं,। बशर्ते कि एक दिवंगत पुत्र की पत्नी या पत्नियाँ और संतान, केवल वह शेयर तुल्य हिस्सों में प्राप्त करेंगी जो यदि दिवंगत पुत्र जीवित रहता तो मिलता है और उसे प्रथम परन्तुक के उपखंड (I) के उपबन्धों से छूट दी गया है,

(II) जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं छोडता है तब यदि उपनियम 6 या सम्बन्धित नियम उप नियम के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा दिया गया वह नामांकन जो अब तक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में लागू हैं, बना रहता है, तो निधि में उसके जमा में होने वाली राशि या उसकी खंड राशि जो नामांकन से सम्बन्धित है, उसके नामिती या नामितियों को नामांकन में बताए अनुपात में देय होगी।

22 निधि की राशि के भुगतान की रीति

(I) जब निधि में अभिदाता के जमा में होनेवाली राशि देय बन जाती है तब खंड (3) में बताए अनुसार इस सम्बन्ध में लिखित आवेदन प्राप्त होने पर भुगतान करवाना सचिव का दायित्व होगा।

2 इन उप-नियमों के अधीन-जिस व्यक्ति के नाम पर राशि अदा करनी है अगर वह व्यक्ति पागल है जिसकी सम्पदा की देख-भाल करने के लिए इस सम्बन्ध में भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन एक प्रबन्धक को नियुक्त किया गया है तो वह भुगतान उस पागल व्यक्ति के नाम पर नहीं प्रबन्धक के नाम पर किया जाएगा।

3 इस उप-नियम के अधीन भुगतान का दावा करना जो चाहता है वह व्यक्ति, सचिव के नाम पर एक लिखित आवेदन भेजेगा। निकलती राशियों का भुगतान केवल भारत में किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को राशियाँ देय हैं, वे व्यक्ति अपने आप भारत में भुगतान पाने का प्रबन्ध करेंगे।

टिप्पण- जब उप-नियम 19, 20 या 21 के अधीन अभिदाता के जमा में होनेवाली

राशी। देय बन गई है, तब सचिव अभिदाता के जमा में होनेवाली राशि के उस खंड के तुरंत भुगतान के लिए प्राधिकृत करेगा जिसके बारे में कोई विवाद या शंका नहीं हो। उसके बाद जल्द ही शेष का समंजन किया जाएगा।

23. <u>सरकारी या सरकारी नियन्त्रण में रहनेवाले एक निगमित निकाय के अधीन की सेवा से एक व्यक्ति के बोर्ड की सेवा स्थानान्तरण की क्रियाविधि:-</u>

यदि बोर्ड का एक कर्मचारी जिसे निधी की सुविधा प्राप्त है, पहले किसी सरकारी या सरकारी नियन्त्रण में रहनेवाले एक निगमित निकाय या संघ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजिकृत किसी स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की किसी भविष्य निधि का अभिदाता था, तो उसके अभिदानों की राशि और नियोक्ता का अंशदान कुछ हो, तो वह और उसका ब्याज निकाय की अनुमति के साथ निधि में उसके जमा में अन्तरित किए जाएँगे। बोर्ड के अधीन पेंशन के लिए उसकी सेवा नहीं गिनी जाएगी। यदि वह अंशदायी भविष्य निधि का अभिदाता था, तो वह अपने विकल्प के अनुसार नियोक्ता का अंशदान और उसका ब्याज बोर्ड को वापस करने से उसके स्थायी स्थानान्तरण की तारीख के पहले की सेवा पेंशन के लिए गिनी जाएगी।

24. <u>व्यक्तिगत मामलों में नियम के उपबन्धों का शिथिलन</u>

जब बोर्ड को यह मालूम होता है कि इन उप-नियमों के प्रवर्तन से अभिदाता को अनावश्यक तकलीफ होती है या हो सकती है तो बोर्ड इन उप-नियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी उस प्रकार के अभिदाता के मामले का निपटारा उस प्रकार करे जिस प्रकार कि न्यायोचित और निष्पक्ष प्रतीत हो।

25. <u>अभिदाता को देने लिए जमा का वार्षिक विवरण</u>

(I) हरेक वर्ष के समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र सचीव वर्ष के 1 अप्रैल को अथशेष, जमा में डाली गई या नामे डाली गई कुल राशि, वर्ष के 31 मार्च को जमा किए गए ब्याज की कुल राशि और उस तारिख के अन्त शेष का विवरण देते हुए हरेक अभिदाता को निधि में उसके जमा का विवरण भेज देगा। सचीव जमा के विवरण के साथ एक जाँच संलग्न करेगा कि क्या अभिदाता–

(क) उप-नियम 6 या अब तक लागू में रहे सदृश्य उप-नियम के अधीन किए गए किसी नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है या नहीं।

(ख) यदि अभिदाता ने उप-नियम 6 के खण्ड (I) के परन्तुक के अधीन अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामांकन नहीं दिया है क्या उसने एक परिवार अपनाया है या नहीं।

(2) अभिदाताओं को स्वयं वार्षिक विवरण की शुद्धता का समाधान करना चाहिए और यदि कोई त्रुटि हो तो विवरण की प्राप्ति की तारिख से एक महीने के अन्तर्गत सचिव के ध्यान में लाना चाहिए।



26. <u>लेखा और लेखा-परीक्षा:-</u> (I) इन उप-नियमों के अधीन निधियें अदा की गई और निधि से ली गई सभी राशियों का बोर्ड की बहियों में "कयर बोर्ड सामान्य भविष्य निधि लेखा" नामक एक लेखा में लेखा दिया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त लेखा परिक्षकों द्वारा उस प्रकार के लेखाओं की वार्षिक परख और लेखा परीक्षा की जाएगी।

(3) जहाँ तक हो सके, निधि के सारे खर्चें निधियों की आय से उठाए जाएँगे। यदी सभी खर्चों को उठाने के लिए आय पर्याप्त नहीं है तो कमी कयर निधि से उठाई जाएगी।

(4) निधि की अभिरक्षा और वितरण कयर बोर्ड (व्यापार लेन-देन, कर्मचारियों के सेवा की शर्तें और लेखाओं का रख-रखाव) उपनियम, 1955 के उपनियम 25 और 26 के अधीन बोर्ड की निधियों के ठीक उसी प्रकार नियन्त्रित किया जाएगा।

27. <u>निधि का समापन</u> (I) निधि समाप्त की जाएगी

(क) यदि अधिनियम की धारा 5 अधीन अधिसूचना द्वारा बोर्ड का भंग किया जाता है, तो, या

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बोर्ड के एक संकल्प द्वारा,

2 निधि के समापन पर, अभिदाताओं के खातों के अनुसार परिसंपत्तियाँ वसूल की जाएँगी और उनको वितरित की जाएँगी।

प्रथम अनुसूची

उप-नियम 6 (3)

अभिदाता का नाम: श्री /श्रीमती.....
जमा खाता सं :.....
नामांकन पंजी की फोलियो सं:.....

अभिदाता का नामांकन

1. जब अभिदाता के एक परिवार है और एक सदस्य को नामित करना चाहता है

मैं एतद्द्वारा निम्न सूचित व्यक्ति को जो कपर बोर्ड सामान्य भविष्य निधि उपनियम, 1977 के उप-नियम -2 में परिभाषित किए अनुसार मेरे परिवार का सदस्य है, निधि की मेरी जमा राशि को उसके देय होने के पहले या देय होने के बाद भुगतान नहीं किया गया हो, मेरी मृत्यु होने पर स्वीकार कराने के लिए नामित करता हूँ।

| | |
|---|---|
| 1. अभिदाता की मृत्यु होने पर नामिती का नाम व पता | |
| 2. अभिदाता के साथ रिश्ता | (3) आ |
| 4. अभिदाता के पहले नामिति की मृत्यु हो जाने पर उस नामिती का अधिकार जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों को दिया जाएगा, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम, पता व रिश्ता | |

दिनांकित की तारिख .....में

अभिदाता के हस्ताक्ष
पदनाम
पत
.....

दो गवाहों के हस्ताक्षर और पते

(1)

(2)

भली भाँति ध्यान दो

अभिदाता को अपने हस्ताक्षर के बाद किसी नाम के निवेश को रोकने के लिए अपनी अन्तिम प्रविष्टि के



बाद रिक्त स्थान में तिरछी रेखाएँ खींचनी हैं।
खंड 4 को इस प्रकार भरना चाहिए कि किसी भी समय निधि में अभिदाता के जमा की संपूरण राशि को कवर करे।

अभिदाता का नाम: श्री /श्रीमती.....
जमा खाता सं :.....
नामांकन पंजी की फोलियो सं :.....

अभिदाता का नामांकन

II जब अभिदाता के एक परिवार है और उसके एक से अधिक सदस्यों को नामित कराना चाहता है। मैं एतद्द्वारा निम्न सूचित व्यक्तियों को, जो कपया बोर्ड भविष्य निधि उपनियम, 1977 के उपनियम - 2 में परिभाषित किए अनुसार मेरे परिवार के सदस्य हैं, निधि की मेरी जमा राशि को उसके देय होने के पहले या देय होने के बाद भुगतान नहीं किए जाने से पहले मेरी मृत्यु होने पर, स्वीकार करने के लिए नामित करता हूँ और निर्देश देता ताकि उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त राशि नीचे उनके नामों के सामने बताए अनुसार वितरित की जाए।

| अभिदाता की मृत्यु होने पर नामित व्यक्तियों के नाम व पता | अभिदाता के साथ रिश्ता | आयू | हरेक को देय संचय की शेयर राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. आकस्मिकताएँ जिनके होने पर नामांकन अमान्य होगा | | | |
| 6. अभिदाता के पहले नामिती की मृत्यु हो जाने पर उस नामिति का अधिकार जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों को दिया जाएगा, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम, पता व रिश्ता | | | |

दिनांकित 19 की तारिख .....को.....

अभिदाता के हस्ताक्षर

पदनाम
पता

.....

दो गवाहों के हस्ताक्षर और पते

(1)

(2)

भली भाँति ध्यान दो — अभिदाता को अपने हस्ताक्षर के बाद किसी नाम के निवेश को रोकने के लिए अपनी अन्तिम प्रविष्टि के बाद रिक्त स्थान में रेखाएँ खींचनी चाहिए। खंड 4 को इस प्रकार भरना चाहिए कि किसी भी समय निधि में अभिदाता के जमा की संपूर्ण राशि को कवर करे।

अभिदाता का नामः श्री /श्रीमती.....

जमा खाता सं :.....

नामांकन पंजी की फोलियो सं:.....

अभिदाता का नामांकन

III जब अभिदाता के कोई परिवार नहीं है और एक व्यक्तियों को नामित करना चाहता है।

मैं, कयर बोर्ड सामान्य भविष्य निधि उप-नियम, 1977 के उपनियम - 2 में परिभाषित किए अनुसार कोई परिवार न होने पर एतद्द्वारा निम्न सूचित व्यक्ति को निधि की मेरी जमा राशि को उसके देय बन जाने के पहले या देय होने के बाद भुगतान नहीं करने से पहले मेरी मृत्यु के होने पर स्वीकार करने के लिए नामित करता हूँ

| | |
|---|---|
| 1. नामिति का नाम व पता | |
| 2. अभिदाता के साथ रिश्ता | (3.) आयू |
| 4. आकस्मिकताएँ जिनके होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा | |
| 5. अभिदाता के पहले नामिती की मृत्यु हो जाने पर उस नामिति का अधिकार जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों | |



को दिया जाएगा, उस व्यक्ति
या व्यक्तियों के नाम, पता
व रिश्ता

दिनांकित 19 की तारिख .....को.....में

अभिदाता के हस्ताक्षर
पदनाम
पता

.....

दो गवाहों के हस्ताक्षर और पते

(1)

(2)

टिप्पणः- जब एक अभिदाता जिसके अपना कोई परिवार नहीं है, एक नामांकन करता है तब तक इस कॉलम में यह उल्लिखित करेगा कि अपने एक परिवार होने के बाद यह नामांकन अमान्य होगा।

विशेष ध्यान दो — अभिदाता को अपने हस्ताक्षर के बाद किसी नाम के निवेश को रोकने के लिए अपनी अन्तिम प्रविष्टि के बाद रिक्त स्थाम में तिरछी रेखाएँ खींचनी हैं। कालम 4 को इस प्रकार भरना चाहिए कि किसी भी समय निधि में अभिदाता के जमा की संपूर्ण राशि को कवर करे।

अभिदाता का नामः श्री /श्रीमती.....

जमा खाता सं :.....

नामांकन पंजी की फोलियो सं:.....

अभिदाता का नामांकन

IV जब अभिदाता के कोई परिवार नहीं है और एक से व्यक्तियों को नामांकित करना चाहता है

मैं, कयर बोर्ड सामान्य भविष्य निधि उप- नियम, 1977 के उप-नियम - 2 में परिभाषित किए अनुसार कोई परिवार न होने पर एतद्द्वारा निम्नसूचित व्यक्तियों को निधि की मेरी जमा राशि को उसके देय बन जाने के पहले या देय होने के बाद भुगतान नहीं करने से पहले मेरी मृत्यु होने पर, स्वीकार करने के लिए नामित करता हूँ -

| अभिदाता की मृत्यु होने पर नामित व्यक्तियों के नाम व पता | अभिदाता के साथ रिश्ता | आयु | हरेक को देय संचय की शेयर राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

5. आकस्मिकताएँ जिनके होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा

6. अभिदाता के पहले नामिती की मृत्यु हो जाने पर उस नामिति का अधिकार जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों को दिया जाएगा, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम, पता व रिश्ता

दिनांकित 19 की तारिख ....................को..............

अभिदाता के हस्ताक्षर
पदनाम
पता
..........................

दो गवाहों के हस्ताक्षर और पते
(1)
(2)

विशेष ध्यान दो — अभिदाता को अपने हस्ताक्षर के बाद किसी नाम के निवेश को रोकने के लिए अपनी अन्तिम प्रविष्टि के बाद रिक्त स्थान के तिरछी रेखा खींचना है।

* इस खंड को इस प्रकार भरना है कि किसी भी समय निधि में उसके जमा की संपूर्ण राशि को कवर करे।

** जब एक अभिदाता जिसके अपना कोई परिवार नहीं है, एक नामांकन करना है, तब वह इस कॉलम यह उल्लिखित करेगा कि उसके इपने एक परिवार होने के बाद यह नामांकन अमान्य होगा।



# MINISTRY OF INDUSTRY
## (Department of Industrial Development)

New Delhi, the 17th Feb. 1977

S.O. 702-The following by-laws made by the Coir Board in exercise of the powers conferred by section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) and confirmed by the Central Government, are hereby published as required by sub-section (2) of the said section, namely:-

1. Short title and commencement:-(1) These by-laws may be called the Coir Board General Provident Fund By-laws, 1977.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions:- (1) in these by-laws unless the context otherwise requires:-

(a) 'Act' means the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953)

(b) 'Board' means the Coir Board constituted under the Act;

(c) 'Chairman' means the Chairman of the Board and 'Secretary' means Secretary of the Board;

(d) 'Emoluments' means pay, leave salary or subsistence grant as defined in the Fundamental Rules, and includes dearness pay and any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service;

(e) 'Family' means-

(i) in the case of a male subscriber, the wife or wives and children of a subscriber, and the widow, or widows, and children of a deceased son of the subscriber.

Provided that if a subscriber, proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these By-laws relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Secretary that she shall continue to be so regarded;

(ii) in the case of a female subscriber, the husband and children of a subscriber, and the widow or widows and children of a deceased son of a subscriber:

Provided that if a subscriber by notice in writing expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these By-laws relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing:

Explanation:-In this clause, 'Children' means legitimate children and included an adopted child, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber.

(f) 'Fund' means the General Provident Fund constituted and established by the Board under these By-laws;



(g) 'Leave' means any kind of leave recognised by the Fundamental Rules or the Revised Leave Rules, 1933;

(h) 'Servant of the Board' means a salaried Officer or servant of the Board other than a person in the service of the Central Government or State Government whose services have been lent or transferred to the Board;

(i) 'Year' means a financial year.

(2) Words and expressions used but not defined therein shall have the meanings respectively assigned to them in the Act, and the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) or in the Fundamental Rules, as the case may be.

3 Constitution of the Fund (1) The Fund shall be maintained in Rupees.

(2) The Fund shall consist of-

(i) all sums paid into the Fund under these By-laws;

(ii) the amount of subscription together with the interest thereon in the Board's contributory Provident Fund standing to the credit of the subscriber in respect of the persons who have opted for the pension benefits in accordance with the provisions of By-law 18 (1) of the Coir Board (Transaction of Business Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) By-laws, 1955;

(iii) Such additions to the Fund as the Board may, from time to time, decide to make with the approval of the Central Govt; and

(iv) the income from loans, deposits and investments.

(2) Sums of which payment has not been taken within five years after they become payable shall be credited to the Fund at the end of the year. Payment of such sums shall be made only under the orders of Chairman.

4. Management of the Fund.–The Fund shall vest in the Board and be managed and invested in the manner prescribed under By-laws 25 and 26 of the Coir Board (Transaction of Business Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) By-laws, 1955.

5. Conditions of eligibility:–All temporary servants of the Board after a continuous service of one year and all permanent servants of the Board, other than those who retain the Board's Contributory Provident Fund benefits under the provisions of By-law 18 (3) of the Coir Board (Transaction of Business Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) By-laws, 1955 and re-employed pensioners, shall subscribe to the fund.

Re-employed pensioners may, at their option, subscribe to the General Provident Fund.

Note 1 — Apprentices and Probationers shall be treated as temporary Board servants for the purpose of this By-law

Note 2 — A temporary Board's servant who completes one year of continuous service during the middle of a month shall subscribe to the Fund from the subsequent month.

Note 3 — In the case of persons transferred to temporary posts under the Board from service under a Corporate Body owned or controlled by Government, the service under the Corporate Body should be treated as service under the Board for the purpose of this



By-law and the person concerned should be permitted to subscribe to the Fund immediately on his joining Board's service, if he has already completed one year's service under that Body.

6. Nominations–(1) A subscriber shall, at the time of joining the Fund send to the Secretary a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund, in the event of his death, before that amount has become payable or having become payable, has not been paid.

Provided that a subscriber who has a family at the time of making the nomination shall make nomination only in favour of a member or members of his family.

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the Fund shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the Fund, be deemed to be a nomination duly made under this By-law until he makes a nomination in accordance with this By-law.

(2) If a subscriber nominated more than one person under clause (1) he shall specify in the nomination the amount of share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be in such one of the Forms set forth in the First Schedule as is appropriate in the circumstances.

(4) subcriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Secretary. The subscriber shall,

along with such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this By-law.

(5) A subscriber may provide in a nomination-

(a) in respect of any specified nominee, that in the event of his predecessing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified, in the nomination, provided that such other person or persons, shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount of share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee.

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein:

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has no family, he shall provide in the nomination that it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family:

Provided further that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under sub-clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently/acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination



under Sub-Clause (a) of clause (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of Sub-clause (b) of clause (5 )or the provise thereto, the subscriber shall send to the Secretary a notice in writing cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this By-law.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Secretary.

Explanation:- In this By-law, unless the context otherwise requires, "Persons" shall include a company or association or body of Individuals, whether incorporated or not.

(8) Subscriber's accounts:-An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be indicated the amount of his subscriptions with interest thereon calculated as prescribed in clause (2) of By-law 12, as well as advances and withdrawals from the Fund.

(9) Conditions of subscriptions:-(1) A subscriber shall subscribe to the Fund every month except during the period when he is under suspension:

Provided that a subscriber may at his option, not subscribe during any period of leave; other than leave on average pay or earned leave of less than one month or 30 days duration as the case may be:

Provided further that a subscriber on reinstatement after a period of suspension shall be allowed the option of paying in one or more instalments any sum not exceeding the maximum amount of arrear subscriptions payable in respect of the said period.

(2) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during leave in the following manner, namely:-

(a) if he is an officer who draws his own pay bills, by making no deduction on account of subscription in his first pay bill drawn after proceeding on leave;

(b) If he is not an officer who draws his own pay bills, by written communication to the Secretary before he proceeds on leave. On failure to give proper and timely intimation he shall be deemed to have elected to subscribe.

Note: The option of a subscriber once intimated under this sub-clause shall be final.

(3) A subscriber who has, under By-law 20 withdrawn the amount standing to his credit in the Fund shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.

9. Rates of subscriptions:-(i) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself, subject to the following conditions, namely:-

(a) it shall be expressed in whole rupees;

(b) it may be any sum, so expressed, which shall not be less than 6 percent of his emoluments and not more than his total emoluments:

(2) For the purpose of clause (1), the emoluments shall be-

(a) in the case of a subscriber who was in Board's service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date.



Provided that-

(i) If the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty;

(ii) If the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continue to be on leave and has elected to subscribe during such leave, his emoluments shall be the emoluments to which he would have been entitled had he been on duty in India :

(b) In the case of a subscriber who was not in Board's service on the 31st March of the proceding year, the emoluments to which he was entitled on the day he joins the Fund.

(3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year by written communication to the Secretary or in the following manner as the case may be-

(a) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he makes in this behalf from his pay bill for that month;

(b) If he was on leave on the 31st March of the preceding year and elected not to subscribe during such leave, or was under suspension that date, by the deduction which he makes in this behalf from his first pay bill after his return to duty;

(c) If he has entered Board's service for the first time during the year, by the deduction which he makes in

this behalf, from his pay bill for the month during which he joins the Fund;

(d) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, by the deduction which he causes to be made in this behalf from his salary bill for that month;

(e) If he was on foreign service on the 31st March of the preceding year, by the amount credited by him to the Board on account of subscription for the month of April in the current year.

(4) The amount of subscription so fixed may be enhanced or reduced once at any time during the course of a year;

Provided that when the amount of subscription is so reduced, it shall not be less than the minimum prescribed in Clause (I)

Provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half pay or half average pay for a part of a calender month and has elected not to subscribe during such leave the amount of subscription payable shall be proportionate to the amount of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above.

10. Transfer to foreign service or deputation out of India when a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall remain subject to the provisions of the Fund in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

11. Realisation of subscriptions-(1) The Board shall have power to deduct from the emoluments of any subscriber the subscription due from him and the principal and interest on the advnce, if any, made to him from the Fund.



(2) When emoluments are drawn from any other source the subscriber shall forward his dues monthly to the Secretary:

Provided that in the case of a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by Government, the subscription shall be recovered and forwarded to the Secretary by such body.

12. Interest-(1) The Board shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rates as may be determined for each year by the Central Government for the General Provident Fund (Central Services) according to the method of calculation prescribed from time to time by them:

Provided that, if the rate of interest determined for a year is less than 4 per cent, all subscribers to the Fund in the year preceding that for which the rate has for the first time been fixed at less than 4 percent, shall be allowed interest at 4 par cent

Provided further that a subscriber who was previously Subscribing to any of the Provident Funds referred to in By-law 23 and whose subscriptions, together with interest thereon, have been transferred to his credit in this fund under the said By-law shall also be allowed interest at 4 per cent, if he had been receiving that rate of interest under a provision similar to that of the first proviso to this by-law.

(2) Interest shall be credited with effect from the 31st March of each year in the following manner.

(i) the amount to the credit of a subscriber on the last day of the preceeding year, less any sum withdrawn during the current year-Interest for twelve months;

(ii) on sums withdrawn during the current year–interest from the beginning of the current year upto the last day of the month preceding the month of withdrawal;

(iii) on all the sums credited to the subscriber's account after the last day of the preceding year–interest from the date of deposit upto the end of the current year.

(iv) the total amount of interest shall be rounded of to the nearest whole rupee (fifty paise counting as the next higher rupee):

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this By-law in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber become payable-

(3) In this By-law, the date of deposit shall, in the case of recovery from emoluments, be deemed to be the first day of the month in which it is recovered, and in the case of an amount forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the month of receipt. If it is received by the Secretary before the first day of that month, but it is received on or after the fifth day of that month, the first day of the next succeding month:

Provided that where there has been a delay in the drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently the recovery of his subscribtion to wards the Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month, in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the rules, irrespective of the month in which it was actually drawn;



Provided further that in the case of an amount forwarded in accordance with the proviso to clause (2) of By-law II, the date of deposit shall be deemed to the first day of the month if it is received by the Secretary before the fifteenth day of that month.

(4) In addition to any amount to be paid under By-law 19, 20 or 21 interest thereon upto the end of the month preceding that in which the payment is made, or upto the end of the sixth month after the month in which such amount become payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid;

Provided that where the Secretary has intimated to that person (Or his agent) a date on which he is prepared to make payment in cash, or has posted a cheque in payment to that person, interest shall be payable only upto the end of the month preceding the date as intimated, or the date of posting the cheque, as the case may be.

(5) The interest on amounts which under clause (2) of By-Law II, clause (5) of By-law 14 By-law 19 or 20 are placed to the credit of the subscriber in the Fund, shall be calculated at such rates as may be successively prescribed under clause (1) and so far as may be in the manner prescribed therein.

13. Advances from the Fund:-(1) The Secretary may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding an amount equal to three months pay or half the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes-

(a) to pay expenses in connection with the illness or a disability, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any person actually depended on him;

(b) to meet the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any person actually dependent on him in the following cases, namely:–

(i) for education outside India for an academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and

(ii) for any medical, engineering or other technical, or other specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years;

(c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the status which by customary usage the the subscriber has to incur in connection with marriages or other ceremonies of himself or of his children or of any other person actually dependent on him;

Provided that the condition of actual dependence shall not apply in the case of a son or daughter of the subscriber;

Provided further that the condition of actual dependence shall not apply in the case of an advance required to meet the funeral expenssas of the parent of a subscriber;

(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by the subscriber for vindicating his position in regard to any allegations made against him in respect of any act done or purporting to be done by him in the discharge of his official duty, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source:



Provided that the advance under this clause shall not be admissible to a subscriber who institutes legal proceeding in any court of law either in respect of any matter unconnected with his official duty or against the Board in respect of any condition of service or penalty imposed on him;

(a) to meet the cost of his defence where the subscriber is prosecuted by Board in any court of law or where the subscriber engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.

(2) An advance shall not except for special reasons to be recorded in writting, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in clause (1) or until repayment of the last instalments of any previous advance together with interest thereon, provided that if the reason is of a confidential nature it may be communicated to the Secretary personally and/or confidentially.

Note:–For the purpose of this By-law, pay includes dearness pay, where admissible.

14 Recovery of advances:–

(1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct: but such number shall not be less than twelve, unless the subscriber so elects and more than twenty four. In special cases where the amount of advance exceeds three months pay of the subscriber under clause (2) of By-law 13, the sanctioning authority may fix such number of instalments to be more than twenty-four but in no case more than thirty six. A subscriber may at his option, repay more than one instalment in a month. Each instalment shall be a number of whole rupee, the amount of the advance

being raised or reduced, if necessary to admit of the fixation of such instalments.

(2) (a) Recovery shall be made in the manner prescribed in By-law II for the realisation of subscribtions, and shall commence, with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn;

(b) recovery shall not be made except with the subscriber's consent while he is in receipt of subsistance grant or is on leave other than leave on average pay or earned leave of less than one month of 30 days duration, as the case may be. The recovery may be postponed, on the subscriber's written request by the sanctioning authority during the recovery of the advance of pay granted to the subscriber.

(3) If more than one advance has been made to the subscriber, each advance shall be treated separately for the purpose of recovery.

(4) (a) After the principal of the advance has been fully repaid, interest shall be paid thereon at the rate of one-fifth percent of the principal for each month or broken portion of a month during the period between the drawal and complete repayment of the principal;

(b) interest shall ordinarily be recovered in one instalment in the month after complete repayment of the principal; but if the period referred to in sub-clause (a) exceeds twenty months, interest may, if the subscriber so desires, be recovered in two equal monthly instalments. The method of recovery shall be that is prescribed in clause (2). Payments; shall be rounded to the nearest rupee in the manner prescribed in sub-clause (iv) of clause (2) of By-law 12.



(5) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed the whole or balance of the amount withdrawn shall, with interest at the rate provided in By-law 12, forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default, be ordered by the Secretary to be recovered by deducation from the emoluments of the subscriber in a lumpsum or in monthly instalments not exceeding twelve as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under clause (2) of By-law 13.

(6) Recoveries made under this By-law shall be credited as they are made to the subscriber's account in the Fund.

15. Wrongful use of advance:-Notwithstanding anything contained in these By laws, if the sanctioning authority is satisfied that money drawn as an advance from the Fund under By-law 13 has been untilised for a purpose other than that for which sanction was given for the drawl of money, the amount in question shall with interest at the rate provided in By-law 12 forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default, be ordered to be recovered by deduction in a lumpsum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Secretary/Chairman, from the emoluments of the subscriber, even if he be on leave. If the total mount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments recoveries shall be made in monthly instalments from his emoluments till the entire amount is repaid by him.

Note:-The term 'emoluments' in this By-law does not include subsistance grant.

16. Withdrawls from the Fund -Subject to the condition specified herein, withdrawls may be sanctioned by the Secretary at any time after the completion of twenty years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or

within ten years before the date or retirement or superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely:-

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary the travelling expenses of any child of the subscriber in the following cases, namely:-

(i) for education outside India for accademic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage;

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage provided that the course of study is for not less than three years;

(b) meeting the expenditure in connection with the marriage of the subscriber's sons or daughters and any other female relation actually dependent on him;

(c) meeting the expenses in connection with illness including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any person actually dependent on him;

(d) building or acquiring a suitable house for his residence including the cost of the site or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose, or reconstructing, or making additions or alterations to a house already owned or acquired by a subscriber;

(e) purchasing a house-site or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;



(f) for constructing a house on a site purchased under clause (e)

Note:- A subscriber who has availed himself of an advance under the Scheme of the ministry of Works and Housing for the grant of advances for house-building purposes, or has been allowed any assistance in this regard from any other Govt. Source or from the Board, shall be eligible for the grant of final withdrawal under clauses (d) (e) and (f) for the purposes specified therein and also for the purpose of payment of any loan taken under the aforesaid scheme subject to the limit specified in the proviso to clause (I) of By-law 17.

17. Conditions for withdrawal:-(I) Any sum withdrawn by a subscriber at any time for one or more of the purposes specified in By-law 16 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of such amount or six month's pay, whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto 3/4 ths of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the drawal is being made (ii) the status of the subscriber, and (iii) the amount to his credit in the Fund.

Provided that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the scheme of the ministry of Works and housing for the grant of advances for house-building purposes, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source or from the Board, the sum withdrawn under this sub-clause with the amount of advance taken the under the aforosaid scheme or the assistance taken from any other Government source or from the Board shall not exceed Rs. 75,000 or five year's pay, whichever is less.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under By-law 16 shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it has been withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lumpsum together with interest thereon at the rate determined under By-law 12 by the subscriber to the Fund, and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lumpsum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the Secretary/Chairman.

18. Conversion of an advance into withdrawl:- A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under By-law 13 for any of the purposes specifed in clauses (a), (b) or (c) of By-law 16, may convert at his discretion by written request addressed to the Secretary the balance outstanding against it (with interest) into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in By-laws 16 and 17.

19. Final withdrawl of accumulations in the Fund:

When a subscriber quits the service the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to him:

Provided that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service shall, if required to do so by the Board, repay any amount paid to him from the Fund in pursuance of this By-law with interest thereon at the rate provided in By-law 12 in the manner provided in the proviso to By-law 20. The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.



Explanation I-A subscriber who is granted refused leave shall be deemed to have quited the service from the date of compulsory retirement or on the expiry of an extension of service.

Explanation II-A subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed with or without a break in service, when he is transferred without any break in service, to a new post under a State Government or in another department of the Central Government (in which he is governed by another set of Provident Fund Rules) and without retaining any connection with his former post. In such case, his subscriptions together with interest thereon shall be transferred–

(a) to his account in the other Fund in accordance with the By-law of that Fund, if the new post is in another department of the Board, or

(b) to a new account under the State Government or Central Government conncerned if the new post is under a State Government / Central Government if that Government consents, by general or special order, to such transfer of subscriptions and interest.

Note:-Transfers shall include cases of resignations from in order to take up appointments in Central Govetnment or under the State Government without any break and with proper premission of the Board; in cases where there has been a break in service it shall be limited to the joining time allowed to transfer to a different station. The same shall hold good in cases of retranchments followed by immediate employment.

Explanation III-when a subscriber is transferred, without any break, to the service under a body corporate owned or controlled by Government, the amount of subscriptions, together

with interest thereon, shall not be paid to him but shall be transferred, with the consent of that body to his new provident Fund Account under that body. Transfer shall include cases of resignation from service in order to take up appointment under a body corporate owned or controlled by Government without any break and with proper permission of the Board. The time taken to join the new post shall not be treated as a break in service if it does not exceed the joining time admissible to a Government servant on transfer from one post to another.

Note:-In terms of explanation III when a subscriber is transferred, without any break, to the service under a body corporate, owned or controlled by Goverement, the amount of subscriptions together with the interest thereon is not paid to him but is transferred with the consent of that body to his new Provident Fund account under that body.

Interest in the type of cases mentioned above should be allowed in accordance with the provisions of clause (4) of by-law 12 as if the Board's servant concerned quitted service.

In terms of these By-laws interest on Provident Fund balance is allowed upto the end of the month preceding that in which the payment is made or upto the end of the sixth month from the month in which the accumulated amount became payable, whichever of these periods be less. It is therefore emphasised on the Administrative authority that transfer of Provident Fund balance in such cases should be effected as early as possibile within a period of six months of the transfer of the person concerned.

20. Retirement of subscriber:-When a subscriber-

(a) has proceeded on leave, preparatory to retirement, or



(b) while on leave, has been permitted to retire or been declared by a competent medical authority to be unfit for further services;

the amount standing to his credit in the Fund shall, upon application made by him in that behalf to the Secretary, become payable to the subscriber:

Provided that the subscriber if he returnas to duty shall if required to do so by Board repay to the Fund for credit to his account, the whole or part of any amount paid to him from the Fund in pursuance of this By-law with interest thereon at the rate provided in By-law 12 in cash or securities or partly in cash and partly in secutities, by instalments or otherwise, by recovery from his emoluments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under clause (2) of By-law 13.

21. Procedure on the death of subscriber:-On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made-

(i) When the subscriber leaves a family-

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of By-law 6 or the corresponding Rule/By-law hereto fore in force in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nomines or nominees in the proportion specified in the nomination;

(b) if no such nomination in favour of a member or membres of the family of the subscriber subsists, or

if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof which the nomination does not relate, as the case may be, shall, not withstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares:

Provided that no share shall be payable to-

(i) sons who have attained majority;

(ii) sons of deceased son who have attained majority;

(iii) married daughters whose husbands are alive;

(iv) married daughters of a deceased sons whose husbands are alive. If there is any member of the family other than those specified in sub-clauses (i), (ii), (iii) and (iv);

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of sub-clause (i) of the first proviso;

(ii) when the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of By-law 6 or of the corresponding Rule/By-law hereto fore in force in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.



22. Manner of payment of amount in the Fund:-

(1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the fund becomes payable, it shall be the duty of the Secretary to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in clause (3).

(2) If the person to whom under these By-laws, any amount is to be paid, is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment shall be made to such manager and not to the lunat.

(3) Any person who desires to claim payment under this By-law shall send a written application in that behalf to the secretary. Payment of amounts withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment in India.

Note:- When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under By-laws 19, 20 or 21, the secretary shall authories prompt payment of that portion of the amount standing to the credit of a subscriber in regard to whcih there is no dispute or doubt, the balance being adjusted as soon after as may be.

23. Procedure on transfer to Board's service of a person from the service under a body corporate, owned or controlled by Government:-If a Board servant admitted to the benefit of the Fund was previously a subscriber, to any Provident Fund of a body corporate owned or controlled by Government or an outonomous organisation registered under the Societies Registration Act, 1860 or of the State Government or Central Government, the amount of his subscriptions and the employers contribution, if any, together with the interest thereon shall be transferred to his credit in the Fund with the consent of

that body. His service will not count towards Pension under the Board. In case, he was subscriber to the contributory Provident Fund, he may, at his option refund the employer's contribution together with interest thereon to the Board whereupon his service prior to the date of his permanent transfer will count for pension.

24. Relaxation of the provisions of the rule in individual cases:-When the Board is satisfied that the operation of any of these By-laws causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, Board may, notwithstanding anything contained in these By-laws deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to them to be just and equitable.

25. Annual statement of account to be supplied to subscriber:-

(1) As soon as possible after the close of each year, the Secretary shall send to each subscriber a statement of his account in the Fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited or debited, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date. The Secretary shall attach to the statement of account an enquiry whether the subscriber-

(a) dasires to make any alteration in any nomination made under By-law 6 or under the corresponding By-law heretofore in force;

(b) has acquired a family in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the proviso to clause (I) of By-law 6.

(2) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness of the annual statement, and errors, if any, should be



brought to the-notice of the Secretary within one month from date of the receipt of the statement.

26. Account and Audit:- (1) All sums paid into and from the Fund under these By-laws shall be accounted for in the books of the Board in an account named "The Coir Board General Provident Fund Account".

(2) Such Accounts shall be examined and audited annually by the auditors appointed under sub-section (2) of section 17 of the Act.

(3) All expenses of the Fund shall be met from the income of the Funds as far as possible. If the income is not sufficient to meet all expenses, the deficit shall be met from the Coir Fund.

(4) The custody and disbursal of the Fund shall be regulated under By-law 25 and 26 of the Coir Board (Transaction of Business Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) By-laws, 1955, exactly in the same manner as the Funds of the Board.

27. Winding up of the Fund:-(1) The Fund shall be wounded-

(a) if the Board were to be dissolved by notification under section 11 of the Act; or

(b) by a resolution of the Board approved by the Central Government.

(2) On the winding up of the Fund, the assets shall be realised and distributed amongst subscribers in accordance with their accounts.

FIRST SCHEDULE

By-law 6 (3)

Subscriber's name : Shri/Smt.....

Depositor Account No .....

Nomination Register Folio No .....

SUBSCRIBER'S NOMINATION

1. When the subscriber has a family and wishes to nominate one member thereof.

I hereby nominate the person nominated below who is a member of my family as defined in By-law 2 of the Coir Board General Provident Fund By-laws, 1977 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid:-

| | |
|---|---|
| 1. Name and address of the nominee in the event of subscriber's death | |
| 2. Relationship with subscriber | 3. Age |
| 4. Name address and relationship of person or persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber | |

Dated this .....day of.....19..... at



Signature of subscriber .....

Designation .....

Address .....

.....

Signature of two witness with addresses.

(1)

(2)

N. B. The subscriber should draw lines across the blank space below his last entry to prevent insertion of any names after he has signed.

Colum 4 should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the Fund at any time.

Subscriber's name : Shri/Smt.....

Depositor Account No .....

Nomination Register Folio No .....

SUBSCRIBER'S NOMINATION

II When the subscriber has a family and wishes to nominate more than one member thereof.

I hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family as defined in By-law 2 of the Coir Board General Provident Fund By-laws, 1977 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid, and direct that the said

amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names:-

| Name and address of nominees in the event of the sub-criber's death | Relationship with subscriber | Age | Amount of share of accumulation to be paid to each |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

5. Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid

6. Name, address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber

Dated this .....day of.....19.....at

Signature of subscriber.....

Designation.....

Address .....

Signature of two witnesses with addresses

(1)

(2)



N B. The subscriber should draw lines across the blank space below his last entry to prevent insertion of any names after he has signed.

Column 4 should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the Fund at any time.

Subscriber's name : Shri/Smt.....

Depositer Account No .....

Nomination Register Folio No .....

SUBSCRIBER'S NOMINATION

III. When the subscriber has no family and wishes to nominate one person.

I, having no family as defined in By-law 2 of the Coir Board General Provident Fund By-laws, 1977, hereby nominate the person mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid.-

1. Name and address of nominee

2. Relationship with subscriber 3. Age

4. Contingencies on the happening (*) of which the nomination shall become invalid.

| | |
|---|---|
| 5. Name, address and relationship of the person, or persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass, in the event of his predeceasing the subscriber | |

Dated this.......................day of......................19...................at

Signature of subscriber..............................

Designation..........................................

Address ..............................................

Signature of two witnesses with address:

(1)

(2)

(αα) NOTE:– Where a subscriber who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

N. B. The subscriber should draw lines across the blank space below his last entry to prevent insertion of any names after he has signed.

Column 4 should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the Fund at any time.

Subscriber's name : Shri/Smt.... ..............................

Depositer Account No ..............................................

Nomination Register Folio No ......................................



SUBSCRIBER'S NOMINATION

VI. When the subscriber has no family and wishes to nominate more than one person.

I, having no family as defined in By-law 2 of the Coir Board General Provident Fund By-laws, 1977, hereby nominate the person mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid, and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names:–

| Name and address of nominees in the event of the subscriber's death | Relationship with subscriber | Age | α Amount of share of accumulation to be paid to each |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| | |
|---|---|
| αα 5. Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid | |
| 6. Name, address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber | |

Dated this ..... day of ..... 19 .....
at .....

Signature of subscriber .....

Designation .....

Address .....

.....

Signature of two witnesses with addresses

(1)

(2)

N. B. The subscriber should draw lines across the blank space below his last entry to prevent the insertion of any names after he has signed.

¤ This colum should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the Fund at any time.

¤¤ Where a subscriber who has no family makes a nomination he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently accuiring a family.